

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 38 / 2021 GCMS NO 2021 /

दायरा तिथि : 15.09.2021

आदेश तिथि : 22-2-2022

प्रार्थी :-

श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह जाति राजपुत

निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 22-2-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 96/774 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 102 रकबा 3.07 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर रिपोर्ट प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 में प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. ग्राम बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 96/774 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आवेदक महेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि है। आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के हेतु रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	102	3.07	बारानी सोयम	4.56X108=492.48 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडल की डी.एल.सी. दर 172710/- रुपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नंबर 102 में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात है कि आवेदक प्रार्थी की

खातेदारी भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 96/774 रकबा 0.84 हैक्टर में वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता

उपलब्ध नहीं है, तथा प्रार्थी आवेदित खसरा नंबर 102 से ही आना जाना करता है। जिससे प्रार्थी की

रास्ते बाबत मांग न्यायोचित है।

पेज लगातार.....

उपखण्ड अधिका
बाली, जिला-पाली (रा)



//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 38/2021 GCMS NO 2021/
अनवान महेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान कारतकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक.प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.08.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 96/774 रकबा 0.84 हेक्टर किरम बारानी दायम की भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 102 रकबा 3.07 हेक्टर किरम बारानी सोयम मेंसे कुल 492.48 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हेक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 172710/- प्रति हेक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
102	3.07	4.56X108=492.48 वर्गमीटर	17.27	8505 x2= 17010	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार 17010/- (अक्षरे सतरह हजार दस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धार्यादे सिंह)
उपनिरीक्षक
बाली, जिला-पाली (राज.)
दिनांक 23-02.2022

क्रमांक/कोर्ट/2022/ 602-606
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
 2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
 3. पटवारी हल्का, बेडल
 4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
- आवेदक श्री महेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्यतसिंह जाति राजपुत निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।



(सुश्री धार्यादे सिंह)
उपनिरीक्षक
बाली, जिला-पाली (राज.)